वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत

संख्याः 1287 /XVII–03/2010–303(स0क0)/2001

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–3, **देहरादूनः दिनांकः 22 अक्टूबर, 2010**

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में समाज कल्याण विभाग के पिछड़ी जाति के दशमोत्तर कक्षा में अध्ययनरत छात्रों को निर्धनता के आधार पर छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता में अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत् पक्ष के विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–187/XXVII(1)/2010 दिनांक 10 मार्च, 2010 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के द्वारा समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से 100 प्रतिशत केन्द्र पोषित पिछड़ी जाति के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को निर्धनता के आधार पर छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता को संलग्नक के अनुसार कुल रू0 6,00,00,000/– करोड़ (रू. छः करोड़ मात्र) धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः 187/XXVII(1)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
3. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
4. उक्त धनराशि वचनबद्ध मदों में ही व्यय हेतु आवंटित की जा रही है, अवचनबद्ध मदों हेतु पृथक से प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
6. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
7. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंवटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 तथा आयोजनेत्तर शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
8. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत/**जिस जनपद की मांग/धनराशि अधिक समय से/अधिक मात्रा**

में/लम्बित हो, को पहले प्राथमिकता के आधार पर अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

9. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
10. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय–सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
12. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
13. समस्त चालू निर्माण कार्य, नए निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलबध कराएं।
14. बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
15. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।
16. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्याः 592(P)/XXVII(3)/2010 दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 1287 (1)/**XVII**–03/2010–303(स0क0)/2001, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी–नैनीताल/देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला समाज कल्याण, अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट, राजकोशीय नियोजन व संसाधन नि0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनु सचिव

शासनादेश संख्याः 1287 (2)/XVII–3/10–303(स0क0) 2001।
दिनांक अक्टूबर, 2010 का संलग्नक एक

अनुदान संख्या–15 आयोजनागत मतदेय

लेखाशीर्षक :2225–03–277–03–00
मुख्य शीर्षक :2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण
उप मुख्य शीर्षक :03–पिछड़े वर्गों का कल्याण
लघु शीर्षक :277–शिक्षा
उप शीर्षक :03–अन्य पिछडे हुए जातियों के दशमोत्तर कक्षा में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत केन्द्र सहायतित)
ब्यौरेवार शीर्षक :00–

(धनराशि हजार रूपयें में)

मानक मद	आवंटित धनराशि
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	6,00,00,000
योग	6,00,00,000

(छः करोड मात्र)

(आर0के0 चौहान)
अनु सचिव।